पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–15] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2014 ई0 (भाद्रपद 22, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–37

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	493–498	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	379–404	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा अनुभाग–3

नियुक्ति / विज्ञप्ति

09 जुलाई, 2014 ई0

संख्या 692 / XXVIII-3-2014-32 टी0सी0/2007–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा–2012 के चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर श्री गुलशन मान पुत्र श्री गुलाब सिंह, V.P.O Ballah, थाना–Assandh, जनपद–करनाल (हरियाणा)–132400 का चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सिविल अभियन्ता सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर वेतनमान ₹ 15600–39100, वेतन बैण्ड–3 ग्रेड वेतन ₹ 5400 में निम्नलिखित शर्तों के साथ उनकी नियुक्ति की तिथि से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी सेवा समाप्ति नियमावली, 1975 के प्राविधानानुसार निरस्त कर दी जाएगी।
2. अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा निर्दिष्ट मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ्य घोषित किए जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने दिया जाएगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने की दशा में अभ्यर्थी के मामले को नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
3. नियुक्त सहायक अभियन्ता को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे।
4. नवनियुक्त अभ्यर्थी आदेश निर्गत के दिनांक से 01 माह की समयावधि में अपने पद का कार्यभार महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून में अवश्य ग्रहण कर लें तथा प्रस्तर–1(6) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त किया जा सकता है।
5. नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
6. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे:–
   (1) अभियोजन न चलाए जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किए जाने के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।
   (2) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।
   (3) एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होने का प्रमाण–पत्र।
   (4) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

2. नियुक्ति पश्चात् संवर्ग में अभ्यर्थी की ज्येष्ठता सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

14 जुलाई, 2014 ई0

संख्या 1608/xxxi(13)/G/14-02(सा0)/2014—श्री राज्यपाल महोदय, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते हैं, जिसमें एक मार्च दो हजार ग्यारह को आरम्भ होने वाली और उन्तीस फरवरी दो हजार सोलह (01 मार्च, 2011 से 29 फरवरी, 2016) को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है:—

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम/क्षेत्र का नाम	गाटा (प्लाट) नाम/क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4
देहरादून	मसूरी	भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, एस्ले इस्टेट, मसूरी	भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी, एस्ले इस्टेट मसूरी, 161.79 एकड़, उत्तर में — वेलव्यू एस्टेट, पूर्व में — चमर खड्ड नाला व कियारकुली ग्राम, दक्षिण में — कियारकुली ग्राम, पश्चिम में — इम्बारने एस्टेट एवं मितराली ग्राम

टिप्पणी—भूमि का स्थल नक्शा परगना अधिकारी, मसूरी/जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में हितबद्ध द्वारा देखा जा सकता है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 1608/xxxi(13)/G/14-02(सा0)/2014,** dated July 14, 2014 for general information.

NOTIFICATION

July 14, 2014

No. 1608/xxxi(13)/G/14-02(सा0)/2014--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Central Act no. 5 of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the Schedule below as the area within for a period of five years commencing on the First day of March, 2011 and ending with the Twenty nineth day of February, 2016 carrying out, periodically of field firing and artillery practice may be authorized.

SCHEDULE

Details of the Area

District	Tehsil	Village	Name and Area of the Plot (in Acre)
1	2	3	4
Dehradun	Mussoorie	Indo-Tibetan Border Police Academy Astel Estate Mussoorie	Indo-Tibetan Border Police Academy Astel Estate, Mussoorie, 161.79 Acre, North - Vallvue Estate, East - Chamarkhadda Nala and Kyarkuli Village, South - Kyarkuli Village, West - Embarne Estate, Park Estate and Bhitarali Village.

Note-- A site plan of the land may be inspected in the office of S.D.M. Mussoorie/Collector, Dehradun.

अधिसूचना

14 जुलाई, 2014 ई0

संख्या 1609/xxxi(13)/G/14-27(03)/2004–श्री राज्यपाल महोदय, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5, सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिनिश्चित करते हैं, जिसमें एक अक्टूबर, दो हजार चौदह से तीस सितम्बर, दो हजार चौबीस (01 अक्टूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2024) को समाप्त होने वाली दस वर्ष की अवधि में गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है:–

अनुसूची

क्षेत्र का विवरण

<u>इलाके का विवरण उत्तराखण्ड के मानचित्र के अनुसार (4 ईंच से 1 मील, जिला अल्मोड़ा)</u>

उत्तर की ओर हद–ए–060230 और बी–069237

पूर्व की ओर हद–बी–069237, सी–085220 और डी–094205

दक्षिण की ओर हद–डी–094205 और ई–093204

पश्चिम की ओर हद–ई–093204, एफ–080215 और ए–060230

टिप्पणीः–भूमि का स्थल नक्शा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 1609/xxxi(13)/G/14-27(03)/2004,** dated July 14, 2014 for general information.

NOTIFICATION

July 14, 2014

No. 1609/xxxi(13)/G/14-27(03)/2004--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Central Act no. 5 of 1938), the Governor is pleased to define the area specified in the Schedule below as the area within for a period of ten years commencing on the First day of October, 2014 and ending with the thirtyth day of September, 2024 (01 October, 2014 to 30 September, 2024) carrying out, periodically of field firing and artillery practice may be authorized.

SCHEDULE

Details of the Area

Details of the area as per Uttarakhand Map Sheet (4 Inch to 1 mile, District Almora)

Bounded Towards North -- A - 060230 and B - 069237

Bounded Towards East -- B - 069237, C - 085220, D - 094205

Bounded Towards South -- D - 094205 and E - 093204

Bounded Towards West -- E - 093204, F - 080215 and A - 060230

Note-- A site plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Almora.

By Order,

C.M.S. BISHT,
Secretary.

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

06 अगस्त, 2014 ई0

संख्या **2022** / II-2014-01(29)(18)-2011/2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष **2013–14** की रिक्तियाँ के सापेक्ष नियमित अनुपूरक चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या **122 / 07 / डी0पी0सी0 / ई–1 / 2013–14,** दिनांक **27–06–2014** द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ **15600–39100,** एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ **5400** के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

डिप्लोमाधारी संवर्ग–

1. गिरिराज नौटियाल
2. रमेश चन्द्र पांडे
3. वीरेन्द्र सिंह
4. हरिनन्दन कापड़ी
5. यशवन्त सिंह बर्त्वाल
6. गिरीश सिंह नयाल
7. महिपाल सिंह डोभाल
8. कैलाश सिंह रजवार
9. खड़क सिंह
10. गिरीश चन्द्र नैनवाल
11. शुकदीप चन्द्र
12. उत्तम चन्द्र

2. पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

आज्ञा से,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट/547–भाग 1–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2014 ई0 (भाद्रपद 22, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 26, 2014

No. 195 UHC/XIV/11/Admin.A/2009--Sri Mohd. Yusuf, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal, is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 03-06-2014 to 17-06-2014 in terms of G.O. No 819/xxvii(7)34/2010-11 dated 31-12-2013 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

June 26, 2014

No. 196 UHC/XIV/26/Admin.A/2013--Sri Girraj Singh Dubey, Special Judicial Magistrate (N.I. Act), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 04 days *w.e.f.* 04-06-2014 to 07-06-2014 with permission to suffix 08-06-2014 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 26, 2014

No. 197 UHC/XIV/13/Admin.A/2008--Sri Manish Kumar Pandey, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 02-06-2014 to 13-06-2014 with permission to prefix 01-06-2014 as Sunday holiday and to suffix 14-06-2014 & 15-06-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

July 04, 2014

No. 202/UHC/Admin.A/2014--Sri Abdul Qayyum, Chief Judicial Magistrate, Nainital is given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Nainital, until Ms. Meena Deopa, Civil Judge (Sr. Div.), Nainital resumes her duties.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
Sd/-
D. P. GAIROLA,
Registrar General.

NOTIFICATION

June/July 07, 2014

No. 203 UHC/XIV-a-61/Admin.A/2012--Ms. Manju Rani Gupta, Special Judicial Magistrate (N.I. Act), Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 09 days *w.e.f.* 26-04-2014 to 04-05-2014.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

July 10, 2014

No. 210/UHC/Admin.A/2014--In exercise of the powers vested under Section 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court is pleased to empower the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate-II, Dehradun, to exercise Jurisdiction in respect of areas of all the districts of Uttarakhand to try or enquire into all such cases arising out of offences punishable under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986, within the said area.

By Order of the Court,
Sd/-
D. P. GAIROLA,
Registrar General.

NOTIFICATION

July 15, 2014

No. 214 UHC/XIV-a-17/Admin.A/2009--Sri Hemant Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 17-06-2014 to 28-06-2014 with permission to suffix 29-06-2014 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 15, 2014

No. 215 UHC/XIV/51/Admin.A--Sri Hira Singh Bonal, Judge, Family Court, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 23-06-2014 to 05-07-2014 with permission to prefix 22-06-2014 and to suffix 06-07-2014 as Sunday holidays.

NOTIFICATION

July 23, 2014

No. 221 UHC/XIV-53/Admin.A--Sri Prashant Joshi, 1st Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 01-07-2014 to 11-07-2014 with permission to suffix 12-07-2014 & 13-07-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

NOTIFICATION

July 30, 2014

No. 223 UHC/XIV-39/Admin.A--Ms. Sweta Pandey, the then Additional Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, presently posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 30-06-2014 to 19-07-2014 with permission to prefix 29-06-2014 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

July 31, 2014

No. 224/UHC/Admin.A/2014--Hon'ble Mr. Justice Kuttiyil Mathew Joseph, has assumed charge of office of Chief Justice of the High Court of Uttarakhand on **31st July, 2014 at 03:00 p.m.** ***vide*** **Notification No. K. 13032/01/2014-US.II dated 17-07-2014** issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice).

Sd/-

D. P. GAIROLA,

Registrar General.

NOTIFICATION

August 04, 2014

No. 225 UHC/XIV/71/Admin.A/2003--Ms. Neena Aggarwal, 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 20 days *w.e.f.* 07-07-2014 to 26-07-2014 with permission to prefix 06-07-2014 and suffix 27-07-2014 as Sunday holidays in terms of Office Memorandum No. 11/ XXVII(7)34/2011 dated 30-05-2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

August 05, 2014

No. 226 UHC/XIV/34/Admin.A--Sri Kawer Sain, District Judge, Almora is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 14-07-2014 to 28-07-2014 with permission to prefix 12-07-2014 & 13-07-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 29-07-2014 as 'Idu'l fitr' holiday.

NOTIFICATION

August 05, 2014

No. 227 /XIV/26/Admin.A/2011--Ms. Akata Mishra, the then 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 37 days *w.e.f.* 21-10-2013 to 26-11-2013 with permission to prefix 20-10-2013 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

August 05, 2014

No. 228 /XIV/26/Admin.A/2011--Ms. Akata Mishra, the then 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned maternity leave for 179 days *w.e.f.* 27-11-2013 to 24-05-2014 in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4).

NOTIFICATION

August 05, 2014

No. 229 UHC/XIV-27/Admin.A/2013--Sri Aditya Prasad Chauhan, Special Judicial Magistrate (N.I. Act), Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 08 days *w.e.f.* 14-07-2014 to 21-07-2014 with permission to prefix 12-07-2014 & 13-07-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

20 जून, 2014 ई0

कोरम

श्री सी0 एस0 शर्मा — सदस्य – अध्यक्ष

श्री के0 पी0 सिंह — सदस्य

पत्रांक UERC/6/TF/217/1010–"उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (द्वितीय संशोधन विनियम, 2014" और उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 के लिए कारणों का विवरण।

कारणों का विवरण

प्रस्तावना

आयोग ने पूर्व के उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एंव अन्य निबंधन) विनियम 2010, (इसमें इस आगे "मुख्य विनियम –2" के रूप में संदर्भित) को निरस्त करते हुए अधिसूचना दिंनाक 15 अप्रैल 2013 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं निबंधन) विनियम, 2013 (इसमें इससे आगे "मुख्य विनियम 1" के रूप में संदर्भित) जारी किया था। दोनों विनियमों द्वारा उत्पादकों को विनियमों के, विनिर्दिष्ट किये अनुसार "जेनरिक शुल्क" या उत्पादक द्वारा फाइल की गई याचिका के आधार पर आयोग द्वारा अवधारित किये जाने वाले "परियोजना विशिष्ट शुल्क" चुनने का विकल्प प्रदान किया गया। PPA की अवधि (अर्थात परियोजना की अवधि) के दौरान उत्पादक द्वारा अपनाये गये विकल्प भी अनुप्रोज्यता के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2013 के द्वारा मुख्य विनियम–1 को संशेधित किया गया जिसमें मुख्य विनियम–2 के अध्याय–1, अध्याय–4 और अध्याय–5 के विनियम–3 पुनः स्थापित किये गये। ये पुनः स्थापित विनियम, मुख्य विनियम–1 के प्रवृत्त होने से पूर्व कार्यरत परियोजनाओं पर लागू किये गये थे।

SHPs उत्पादकों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के आधार पर आयोग ने सभी स्टेक होल्डर्स से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मुख्य विनियम–1, एवं मुख्य विनियम–2, पर एक प्रारूप संशोधन जारी किया। इस प्रारूप संशोधन में निम्नलिखित सम्मिलित था :–

i. अपरिहार्य घटनाओं के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण
ii. मानकीय APC की वसूली सुनिश्चित करने के लिए क्षमता उपयोगिता कारक का संशोधन।

टिप्पणियों/सुझावों/आपत्तियों के जमा करने की अंतिम तिथि 12.05.2014 रखी गई। टिप्पणियां जमा करने वाले स्टेक होल्डर्स की एक सूची संलग्न–I के रूप में संलग्न है। आयोग ने मामले में सुनवाई भी 12.05.2014 को आयोजित की, इस में भाग लेने वालों की सूची संलग्न II के रूप में संलग्न है।

स्टेकहोल्डर्स के दृष्टिकोणों पर विचार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोग का विश्लेषण और निष्कर्ष

1. अपरिहार्य कारणों से अतिरिक्त पूंजीकरण (मुख्य विनियम–1 के विनियम 14(7) में संशोधन और मुख्य विनियम–2 के विनियम 15(9) में संशोधन)

प्राप्त टिप्पणियां

जून 2013 की प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में ऋषिगंगा पावर कॉरपोरेशन लि0, मै0 बिरही गंगा हाइड्रो पावर लि0 और मै0 हिमालय हाइड्रो पावर लि0 ने कहा कि उत्तराखण्ड के अधिकांश SHPs को इस आपदा के दौरान आई बाढ़ के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मरम्मत चलने के कारण बहुत से SHPs अब भी बंद पड़े है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यहां तक कि UPCL भी अपनी 33 kV पारेषण लाइनों को आपदा के 11 माह बाद मई 2014 में बहाल कर पाया। विकासकर्ताओं ने आयोग से निवेदन किया कि इस आपदा के कारण हुई राजस्व और AFC की कम वसूली तथा परियोजना को पुनः स्थापित करने में होने वाली अतिरिक्त पूंजी लागत को हिसाब में लिया जाये।

मै0 हिम ऊर्जा प्रा0 लि0 ने कहा कि आयोग ने प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति दी है किन्तु उनके द्वारा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी वार्षिक स्थिर प्रभार संरक्षित नहीं किये गये है। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं ने विनियम में यह संरक्षण बड़ी परियोजनाओं को प्रदान किया है। PLF में शिथिलिकरण यद्यपि विकासकर्ताओं को राहत प्रदान करता है किन्तु यह विकासकर्ताओं को इस प्रकार की आपदाओं से अवरोध नहीं दिलाता । उत्तराखण्ड में अनेक परियोजनाएं उनको भारी क्षति पहुंचने के कारण दो से लेकर 10 माह की अवधि तक बंद रही तथा इस कारण 20% तक का CEF प्राप्त नहीं कर पाई। अतः प्राकृतिक आपदा के समय उत्पादन में क्षति होने के कारण AFC तक भुगतान के द्वारा राहत के उपबंध पर आयोग विचार कर सकता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए शुल्क लागत प्लस पर आधारित है, अतः ऐसी परियोजनाओं के लिए भविष्य में हानि की वसूली कर पाना संभव नहीं है। वसूली का एक मात्र अवसर उच्च PLF

प्राप्ति के द्वारा हो सकता था किंतु जैसा कि स्वयं आयोग ने देखा है कि परियोजनाएं केवल 34% PLF प्राप्त कर पाई है, अतः PLF में भारी सुधार होना संभव प्रतीत नहीं होता।

विश्लेषण और निर्णय

विकासकर्ताओं ने प्राकृतिक आपदा के कारण परियोजना बंद पड़ जाने से हुए अपनी राजस्व हानि की प्राप्ति तथा अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु 2013 की आपदा को कवर करने की भी मांग की है। चूंकि ऐसी हानियों की वसूली हेतु कोई उपबंध मुख्य विनियम में विद्यमान नहीं है, अतः इसे विनियम में संशोधन की अधिसूचना द्वारा पूर्वलक्षी रूप से जारी नहीं किया जा सकता। संशोधित विनियम में आयोग द्वारा पूर्णरूप से नया विनियम विनिर्दिष्ट नहीं किया जा रहा है बल्कि जलविद्युत विकासकर्ताओं के सम्मुख आ रही समस्याओं को पहचानते हुए वर्तमान विनियम में संशोधन किया जा रहा है तथा इस प्रकार मांगी गई राहतों पर विचार नहीं किया जा रहा है। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा ऐसा संरक्षण प्रदान करने के लिए विनियम का दिया गया विकासकर्ताओं का संदर्भ न तो उसमें से उपबंधो से जनित है न ही परीक्षण के अधीन मुद्दे से संबधित है। वर्तमान MYT विनियम, 2011 द्वि भागीय शुल्क द्वारा बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में AFC की वसूली हेतु उपबंध करता है। ये विनियम ऊर्जा प्रभारों के रूप में 50% AFC तथा शेष 50% क्षमता प्रभारों के रूप में, वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) प्राप्त कर लेने पर वसूली हेतु उपबंधित करता है, यदि कोई HEP एक वर्ष के दौरान अपनी NAPAF प्राप्त नहीं कर पाती है तो क्षमता प्रभार आनुपातिक आधार पर वसूल किये जाने की अनुमति है। तथापि, अपरिहार्य घटनाओं के कारण निम्न उत्पादन होने से ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली हेतु विनियमों में कोई तंत्र उपबंधित नहीं किया गया है। अतः LHPs द्वारा AFC भी वसूली का मूल सिद्वान्त विकासकर्ताओं से उत्पादन हेतु उनकी परियोजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है तथा विनियमों में AFC की वसूली हेतु उन्हें किसी भी अन्य प्रकार से संरक्षण नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाये कि लघु विद्युत परियोजनाएं एकल भाग शुल्क द्वारा शासित होती है तथा ऊर्जा के अनुसूचीकरण के अधीन नहीं है। अतः दो विनियमों के मध्य कोई समानता नहीं है।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर, आयोग प्रारूप संशोधन विनियमों के सुसंगत उपबंध को बनाये रखने का निर्णय लेता है।

2. संशोधित मानकीय CUF से अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहन वसूली तंत्र (मुख्य विनियम–1 के विनियम 26(1) में संशोधन और मुख्य विनियम–2 के विनियम 27 में संशोधन)

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 ऋषिगंगा पावर कॉरपोरेशन लिं0, मै0 बिरही गंगा हाइड्रो पावर लि0, मै0 हिमालय हाइड्रो पावर लि0 तथा मै0 स्वास्ति पावर लि0 ने कहा है कि उपरोक्त संशोधन उत्तराखण्ड में नवीकरणीय ऊर्जा पावर उत्पादन तथा लघु जल विद्युत क्षेत्र के हितों के लिए हानि कारक होगा।

i. प्रचालन में 12 SHPs में से 9 केवल 31% से 38% का CUF प्राप्त कर रही है तथा अन्य SFPs की भी उनके पिछले चार वर्षो के निष्पादन को देखते हुए 40% से अधिक का CUF प्राप्त करने की संम्भावना नहीं है तथा इस बात की सम्भावना अत्यन्त क्षीण है कि लगातार वर्ष दर वर्ष ऐसा कर पायेगी। इन 9 SHPs के पिछले 4 वर्षो में उनके AFCs की वसूली न होने के कारण पहले ही भारी वित्तीय हानियां संचित हो चुकी है। क्योंकि उनके शुल्क 45% के मानकीय CUF पर आधारित थे। अब जब कि आयोग ने मानकीय CUF को कम कर 40% करना प्रस्तावित किया है इसने 01 अप्रैल 2014 से पूर्व AFC की दर वसूली के कारण संचित इन वित्तीय हानियों की वसूली के लिये कोई उपाय उपबंधित नहीं किये है।

ii. इसके अतिरिक्त मानकीय CUF घटा कर 40% करने का प्रस्तावित संशोधित AFC की कम वसूली के कारण हुई हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु कोई तंत्र उपबंधित नहीं करता यदि SHPs की प्रस्तावित CFU 40% से कम बनी रहती है (जैसा कि 9 SHPs के मामले में है जिन्होनें पिछले चार वर्षो में 31% से 38% CUF प्रचालित की है), इसका अर्थ है कि SHPs द्वारा मौसम परिस्थितियों की अनिश्चितता, हाइड्रोलॉजी और आपदाओं द्वारा उत्पन्न खतरों के कारण AFC की कम वसूली के सभी जोखिम उठाना जारी है। ऐसी परिस्थितियों मे यह सविनय निवेदन है कि SHPs को कम से कम, लागू जेनरिक शुल्क पर 40% CUF से ऊपर ऊर्जा उत्पादन हेतु शुल्क जो कि वर्तमान मुख्य विनियम के अधीन मामला है, तय कर अपनी कुछ संचित हानियों और भविष्य की कम वसूली की आपूर्ति का एक विधिक अवसर अनुमन्य किया जाये।

iii. ऐतिहासिक डाटा तथा हाइड्रोलॉजिकल जोखिमों के आधार पर SHPs की 40% CUF से बढत की संभावना अत्यन्त क्षीण है तथा इस बात की संभावना अधिक है कि उनकी CUF भविष्य में 40% से नीचे रहे। ऐसी असंभावना के मध्य यदि किसी SHP की CUF किसी वर्ष विशेष में 40% से अधिक हो जाती है तो ये AFC की कम वसूली के विछले वर्षो से संचित हानियों के एक छोटे से अंश की ही प्रतिपूर्ति होगी। इसको ध्यान में रखते हुए निवेदन है कि आयोग का यह सोचना कि SHPs किसी तरह निरंतर 40% से अधिक CUF प्राप्त कर अपनी वसूलियों बढ़ा लेंगी, सही नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक डाटा तथा प्रकृति का स्वभाव ऐसी संभावना को मिटा देता है।

iv. 2010 और 2013 के शुल्क विनियमों में आयोग ने मानकीय CUF से अधिक किसी उत्पादन पर उसी जेनरिक शुल्क की अनुमति प्रदान कर 45% का पूर्व मानकीय CUF बढ़ाने के लिए SHPs को प्रोत्साहन प्रदान किया था। अतः वही सिद्वान्त संशोधित विनियमों में भी लागू किया जाना चाहिये । इस प्रकार

आयोग का यह सोचना सही नहीं है कि SHPs अपनी वसूलियों मे वृद्वि कर लेंगी क्योकि प्राकृतिक अनिश्चितताऐं यह सुनिश्चित करती है कि 35+ वर्ष जीवन से ऊपर SHPs द्वारा प्राप्त वास्तविक CUF नीचे ऊपर होता रहेगा जैसा कि वर्तमान में उपलब्ध ऐतिहासिक डाटा द्वारा सिद्ध हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए आयोग कृपया 40% के मानकीय शुल्क से ऊपर किसी उत्पादन हेतु उसी जेनरिक शुल्क की अनुमति दे तथा 40% के मानकीय शुल्क से ऊपर किये गये भुगतान की वसूली/समायोजन न मागें ।

v. यह निवेदन है कि विनियम 26 वा प्रस्तावित संशोधन जिस के द्वारा 40% से 45% CUF के मध्य उत्पादित ऊर्जा के लिए शुल्क प्रचालन एंव अनुरक्षंण (O&M) प्रभार पर घटा दिये गये है तथा फिर 45% से अधिक के किसी उत्पादन से वसूल किये गये है इसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अनिश्चित और आवांछनीय गिरावट आयेगी। वर्तमान विनियम के अधीन O&M असामान्य रूप से कम है तथा ये SHPs की वास्तविक प्रचालन और अनुरक्षण लागतों को पूरा नहीं करते। यह निवेदन है कि 2008 के शुल्क विनियम के अधीन आयोग ने पूंजीगत व्यय का 4–5% वार्षिक O&M प्रभारों के रूप में अनुमन्य किया था जबकि शुल्क विनियम 2010 व 2013 के अधीन O&M प्रभार मानकीय पूंजीगत व्यय का केवल 2–3% बैठते है। यदि SHPs द्वारा उपगत वास्तविक पूंजीलागत को हिसाब में लिया जाता तो वर्तमान (O&M) प्रभार वास्तविक पूंजीलागत का केवल 1–1.5% होती है। इसके दृष्टिगत SHPs के लिये प्रस्तावित मानकीय CUF से ऊपर ऊर्जा उत्पादन का प्रयास करने का कोई कारण नहीं है क्योकि वर्तमान O&M प्रभार वास्तविक प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तथा SHPs के लिये संयत्र और मशीनरी के महंगे रख रखाव को टालने के लिये सयंत्र को बंद कर देना वास्तव में वित्तीय रूप से व्यावहारिक होगा।

vi. 40% CUF से ऊपर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की उपरोक्त अनाशदित बंदी का उत्तराखण्ड राज्य और UPCL पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन विनियमों द्वारा प्रभावित SHPs कुल संस्थापित क्षमता 57.9 MW है तथा 40% से 45% CUF श्रेणी से उनके द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा 25.36 मिलियन यूनिट होगी। यदि SHPs के पास 40% CUF से ऊपर उत्पादन के लिये अधिक प्रोत्साहन नहीं होगा तो UPCL को उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा की 25.36 मिलियन यूनिट्स को संभाव्य रूप से त्याग देना होगा। अपनी RPO बाध्यताओं को पूरा करने के लिए UPCL को तब संभावित ऊँचें शुल्क रू0 5.50 (रू.4/यूनिट बाजार मूल्यरू 1.5 REC/यूनिट) लगभग रू. 13.95 करोड़ की कुल लागत पर वाह्य स्रोतों से 25.36 मिलियन यूनिट्स ऊर्जा क्रय करनी पड़ेगी।

विश्लेषण और निर्णय

जैसा कि प्राप्त संशोधन विनियमों के साथ संलग्न SOR में उल्लिखित है, आयोग ने SHPs के प्रचालन में हाइड्रोलॉजिकल जोखिमों, उनकी सुदूर अवस्थितियों को पहचाना है। यह भी देखा गया है कि अनेक SHPs

जेनरिक शुल्क में निर्धारित अर्थात 45% CUF प्राप्त नहीं कर पायी है। यह भी देखा गया है कि हाइड्रोलॉजी में ऐसे अंतर विकासकर्ताओं के पक्ष में भी जा सकतें है कि यदि वास्तविक उत्पादन मानकीय CUF से अधिक हो जाता है तो शुल्क संरचना के एकल भाग विकासकर्ताओं को अधिक आय हो सकती है आयोग को यह जानकारी है कि SHPs के प्रचालन की प्रारम्भिक अवधि में राजस्वों का लगभग दो तिहाई ऋण सेवाओं और O&M पर व्यय किया जाता है। ऋण पूर्ण रूप से चुकता हो जाने के पश्चात् ही यह बोझ कम होता है। इस प्रारम्भिक अवधि में इस AFC की वसूली न कर पानें का एक संभाव्य खतरा ऋण में व्यतिक्रय और ऋण देने वालों की तत्पश्चात् प्रतिकूल कार्रवाई के रूप में होता है क्योंकि अधिकांश SHPs CUF प्राप्त नहीं कर रहे थे उन्हें AFC नहीं प्राप्त हो रही थी इसी सन्दर्भ में आयोग ने AFC की वसूली हेतु प्राप्ति योग्य CUF के पुनर्निर्धारण का कार्य हाथ में लिया। मुख्य विनियम 4 से अधिक वर्षों से प्रचालन में है। विकासकर्ताओं ने इस मुद्दे पर कोई आग्रह नहीं किया ऐसा संभवतः इस गलत धारणा के कारण था कि नये विनियम का मुख्य विनियम–1 उनके शुल्कों में सुधार करेगा और अब मुख्य विनियम–1 की अधिसूचना के पश्चात् इस मुद्दें को उठाया है। उनकी यह मांग कि संशोधनों में उनकी पिछली वित्तीय हानियों की आंशिक प्रतिपूर्ति की अनुमति मिलनी चाहिये, नहीं मानी जा सकती ।

विकासकर्ताओं ने निवेदन किया कि 40% CUF हेतु स्वीकृति जेनरिक O&M प्रभारों की दर अत्यन्त निम्न है जबकि उनके वास्तविक O&M एक व्यय विनियमों के अधीन अनुमन्य मानकीय O&M प्रभारों से उच्च है। उनका कहना था कि ऐसी परिस्थितियों में विकासकर्ता 40% CUF से अधिक अपने SHPs से उत्पादन को रोकना पसन्द करेंगे क्योंकि इस से उन्हें वित्तीय हानि होगी। उन्होनें यह भी कहा है कि 40% से 45% CUF के मध्य उत्पादन हेतु भुगतान की गई राशि की वसूली 45% CUF से अधिक पर नहीं की जानी चाहिये। विकासकर्ताओं का यह कहना कुछ तर्कपूर्ण है। उनके 40% से ऊपर उसी शुल्क के निवेदन को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि इस संशोधन का आशय केवल उनकी AFC की वसूली के लिये उनको अनुमति देना है यदि वे कम से कम औसत PLF प्राप्त करने का प्रयास करें। आयोग ने देखा है कि वितरण अनुज्ञापी होते हुए UPCL, RE विनियम, 2013 के अनुसार अपने RPO अनुपालन को पूरा करने के लिये बाध्य है। गैर–सौर RPO में कमी होने की स्थिति में UPCL को बाजार भाव पर RECs प्राप्त करनी होगी। ऐसी स्थिति में यदि गैर सौर RPO में कमी होती है तो उसे पूरा करने के लिए वितरण अनुज्ञापी को कम से कम फ्लोर प्राइस पर समकक्ष RECs क्रय करनी होगी जो कि इस समय रू0 1500.00/REC (रू0 1500.00/MWh, अर्थात् रू.1.50/kWh) संशोधित मानकीय CUF प्राप्त कर लेने पर एक बार विकासकर्ता द्वारा SHP की AFC वसूल हो जाने पर आगे का उत्पादन प्रोत्साहन के लिए योग्य हो जाना चाहिए ताकि उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित हो सके। विकासकर्ता द्वारा गैर सौर RECs की अधिप्राप्ति से राहत मिलेगी। अतः विकासकर्ता द्वारा उठाये गये मुद्दे की आंशिक स्वीकार्यता में वह लागत जो REC की अधिप्राप्ति पर अन्यथा अनुज्ञापी द्वारा उपगत की जाती संशोधित मानकीय CUF से ऊपर उत्पादन और SHPs के अनुरक्षण हेतु प्रयास करने के लिए विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में विचारित की जा रही है ताकि उत्पादकों और अनुज्ञापी दोनों ही के लिए स्थिति सकारात्मक हो तद्नुसार आयोग

40% से अधिक और 45% तक उत्पादन हेतु रू. 1.50/kWh शुल्क तय करता है जो कि वर्तमान में गैर सौर RECs का निम्नतम मूल्य है। तद्नुसार, प्रारूप संशोधन विनियम इस सीमा तक परिवर्तित किया जाता है।

विकासकर्ताओं ने यह भी कहा है कि विनियम 1 व 2 में आयोग ने मानकीय CUF के ऊपर किसी उत्पादन हेतु वही जेनरिक शुल्क अनुमन्य कर 45% के पूर्व मानकीय CUF में वृद्वि के लिए SHPs को प्रोत्साहन दिया है। SHP के मानकीय CUF में संशोधन का एक मात्र उद्देशय AFC वसूली व SHP कारोबार की वित्तीय जीवन क्षमता सुनिश्चित करना है। यदि SHP 45% से ऊपर उत्पादन करता है तो स्थिति संशोधन--पूर्व की हो जाऐगी, अतः SHPs विनियमों में उपबंधित रूप में शुल्क पर राजस्व अर्जित करने की हकदार होगी। CUF प्राप्त करने वाले विकोसकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का आशय नहीं है।

तथापि, आयोग ने प्रारूप विनियम में प्रस्तावित 45% के वार्षिक CUF से अधिक होने वाले उत्पादक पर 40% से अधिक और 45% CUF तक पर उत्पादित ऊर्जा हेतु अर्जित प्रोत्साहन का पूर्ण वसूली के स्थान पर इस प्रोत्साहन को क्रमशः समायोजित करने का निर्णय लिया है तथा 40% से 45% CUF के मध्य उत्पादन हेतु प्रोत्साहन के रूप में भुगतान की गई समस्त राशि को वसूली हो जाने तक 45% CUF पर मुख्य विनियम में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत जेनरिक दरों से 45% CUF से ऊपर उत्पादित ऊर्जा से रू0 0.75 प्रति यूनिट की कटौती का निर्णय लिया है। इससे उत्पादकों को ऋण के व्यतिक्रम और परिणामस्वरूप परियोजना के NPA हो जाने के संभावित खतरों से सहायता मिलेगी। प्रारूप संशोधन विनियम, इस सीमा तक परिवर्तित किया गया है।

3. क्षमता उपयोग कारक (मुख्य विनियम–1 के विनियम 2 में संशोधन और मुख्य विनियम–2 के विनियम 29 में संशोधन)

प्राप्त टिप्पणियां

मै0 ऋषिगंगा पावर कॉरपोरेशन लि0, मै0 बिरही गंगा हाइड्रो पावर लि0, मै0 हिमालय हाइड्रो लि0 और मै0 स्वास्ति पावर लि0 ने कहा है कि वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 के लिए SHPs हेतु औसत PLF क्रमशः 31.34%, 37.89%, 30.59%, 33.91% रहा है तथा साथ ही वर्ष 2013–14 में SHPs के लिए औसत PLF भी जून 2013 में उत्तराखण्ड राज्य में आई बाढ़ के कारण 30% से भी बहुत कम रहेगा। विकासकताओं ने मुख्य विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों में नये मानकीय CUF को 35% तय करने का निवेदन किया।

मै0 HUPL ने कहा है कि SOR में दर्शाये गये वाह्य कारणों के कारण गैर उत्पादन से जुडे जोखिमों की लागत परियोजना विशिष्ट या जेनरिक शुल्क दोनों में एक जैसी रहती है। उसने निवेदन किया है कि विशिष्ट शुल्क वाली परियोजनाओं को भी निम्न उत्पादन के कारण कम वसूली के न्यूनीकरण हेतु अन्य परियोजनाओं को दिये जा रहे लाभो में सम्मिलित किया जाये। मै0 HUPL ने कहा कि परियोजना विशिष्ट शुल्क के मामले में DPR का CUF अपनाने की संकल्पना स्वंय में ही भेदभाव पूर्ण है क्योंकि यह एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से वापस

ले लेने का मामला है। यह बढ़ी विद्युत परियोजनाओं तक के विनियमों के प्रतिकूल है जहां 90% विश्वसनीय वर्ष में उत्पादन का केवल 95% परियोजना की वार्षिक स्थिर लागत की वसूली हेतु CUF लिया जाता है। यह विकासकर्ताओं को उच्च क्षमता निम्न CUF रेजीम की ओर अग्रसर होने के लिये प्रेरित करती है। जो कि दीर्घ काल में कंपनी और उत्पादक दोनो के लिए अहित कारी है।

विश्लेषण और निर्णय

आयोग ने अपने प्रारूप संशोधन विनियम में यह ध्यान में रखते हुए SHPs का मानकीय CUF संशोधित दर 40% प्रस्तावित किया है कि उनमें से अधिकांश ने 45% CUF प्राप्त नहीं किया है और इसके फलस्वरूप उनकी AFC प्राप्त नहीं हुई है। यह 40% का मानक वित्त वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिये UPCL से प्राप्त वास्तविक डाटा के आधार पर ज्ञात किया गया है, जिसमें औसत CUF 39.58% आता है। अतः आयोग ने AFC की वसूली के लिये 40% मानकीय CUF तय किया है। तदनुसार आयोग, निश्चित करता है कि 40% का संशोधन मानकीय CUF अपरिवर्तित रहेगा जैसा कि प्रारूप संशोधन विनियम में प्रस्तावित किया गया है।

इस संबध में, यह नोट किया जाये कि परियोजना विशिष्ट शुल्क के अवधारण हेतु, संबधित SHP की DPR में विनिर्दिष्ट CUF या मानकीय CUF दोनों में जो उच्च हो उस पर शुल्क अवधारण हेतु विचार किया जाता है। RE विनियम, 2010 के विनियम 11(3) और RE विनियम, 2013 के विनियम 10(3) के सुसंगत उद्धरण को यहाँ पुनः उद्धृत किया गया है:

"(a) उन परियोजनाओं, जो अध्याय 5 के अधीन विभिन्न प्रौद्योगिकियों हेतु विनिर्दिष्ट मानकीय पूंजी लागत के स्थान पर वास्तविक पूंजी लागत के आधार पर अपने शुल्क अवधारित करने का विकल्प चुनती है, के लिए स्थिर प्रभारों की वसूली हेतु CUF (उत्पादन) अनुमोदित DPR में परिकल्पित या सुसंगत प्रौद्योगिकी हेतु अध्याय 5 के अधीन विनिर्दिष्ट मानकीय CUF, दोनों में जो उच्च हो, लिया जायेगा।"

यदि DPR में विनिर्दिष्ट CUF, विनियमों में विनिर्दिष्ट CUF उच्च है। तो "परियोजना विशिष्ट शुल्क "DPR में विनिर्दिष्ट CUF के आधार पर अवधारित किया जायेगा। अतः ये परियोजनाएं मानकीय CUF में किये गये किसी संशोधन से प्रभावित नहीं होगी।

यह उल्लिखित किया गया है कि "परियोजना विशिष्ट शुल्क" के मामले में शुल्क अवधारण पूंजी लागत के आधार पर है। विकासकर्ता जेनरिक शुल्क अवधारण में विचार की गई मानकीय पूंजी लागत की अपेक्षा वास्तविक लागत के उच्च होने पर ही "परियोजना विशिष्ट शुल्क" चाहते है। पूंजी लागत और CUF दोनों का ही DPR से संपर्क है। एक मानदंड में परिवर्तन करना और दूसरे को छोड़ देना उचित नहीं होगा।

4. आर ई विनियम, 2010 की समीक्षा अवधि

मै0 HUPL ने कहा कि मुख्य विनियम के संशोधन से पहले ही RE विनियम, 2010 के विनियम 12 में विनिर्दिष्ट समीक्षा अवधि के संबंध में संशोधन आवश्यक होगा अन्यथा यह संशोधनों के प्रतिकूल चलेगा। इस ने आगे कहा है कि समीक्षा अवधि विनियम 47 (शिथिलता प्रदान करने की शक्ति) के अधीन विस्तारित की जाए जिसके लिये कारण अभिलिखित करने होंगे।

विश्लेषण और निर्णय

आयोग ने देखा है कि UERC उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईधन आधारित सह उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन), (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 द्वारा मुख्य विनियम–2 के अध्याय 4 एवं 5, 01.04.2013 से पूर्व कमीशन्ड परियोजनाओं के लिये पुनः स्थापित किये गये हैं, तद्नुसार, मुख्य विनियम–2 के विनियम 15(9), 27 व 29 उपरोक्त परियोजनाओं के लिये प्रवृत्त हैं। तथापि मुख्य विनियम–2 की समीक्षा या नियंत्रण अवधि विनियमावली के विनियम 12 के अनुसार 31.03.2013 तक विनिर्दिष्ट की गई थी। यह असाधारण है। पुनः स्थापित विनियमों की समीक्षा या नियंत्रण अवधि उनके प्रचालन तक होनी चाहिये। वर्तमान के लिये, आयोग इसे मुख्य विनियम–1 की अवधि तक विस्तारित करने का निर्णय लेता है। इस मामले में इन विनियमों की पुनः समीक्षा या पुनः स्थापना के समय नये सिरे से विचार किया जायेगा।

5. अतिरिक्त प्रस्तुतियां

मै0 HUPL ने कहा कि परियोजना विशिष्ट शुल्क के अवधारण में अन्य परियोजनाओं की भांति सभी अन्य लागते मानकीय आधार पर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त पूर्ण लागत वास्तव में पास थ्रू नहीं की गई है क्योंकि परियोजना विशिष्ट शुल्क जेनरिक शुल्क से अधिक है।

मै0 स्वास्ति पावर लि0 ने कहा कि RE विनियमों में विचार की गई मानकीय पूंजी लागत SHPs के कार्यान्वयन में उपगत वास्तविक पूंजी लागत की तुलना में कम हैं। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि आयोग को 14% वार्षिक आधार पर पूंजी लागत में वृद्धि पर विचार करना चाहिये। इसने आगे कहा कि UERC विनियम के अनुसार व्यवधान/आउटेजेज की कुल अवधि एक माह में 48 घंटो से अधिक होती है तो डीम्ड उत्पादन लाभ उपलब्ध होगा, अर्थात् 93.5% की पारेषण उपलब्धता। यह मानक अत्यन्त निम्न है तथा ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार के लिये इसमें यूटिलिटी हेतु कोई बाध्यता नहीं है जबकि हानि SHP को बड़ी मात्रा में है। विकासकर्ता ने यह भी कहा कि पूंजीगत सहायता SHPs के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये दी जाती है तथा यह सम्मुख आ रही समस्याओं को कम करने लिये यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। MNRE से पूंजीगत सहायता की प्राप्ति हेतु कुछ निष्पादन मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है, इनमें से कुछ मानसून के स्वभाव के अधीन होते हैं।

चूंकि इसमें पर्याप्त समय लग सकता है अतः शुल्क समायोजन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये दो वर्ष की अवधि प्रदान करने तथा वास्तविक लाभ प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिये।

विश्लेषण और निर्णय

मानकीय जेनरिक शुल्क और परियोजना विशिष्ट शुल्क दोनों ही विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन संरचित विनियमों के अनुसार अवधारित किये जाते हैं। विनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मानक सभी सुसंगत प्रचालक व वित्तीय मानदंडों जैसे अनुषंगी खपत, CUF मुद्रा स्फीति दर, ब्याज दर, इत्यादि पर उचित विचार कर तय किये जा रहे हैं। विनियमों में निर्णित और तय किये गये मानक शुल्क अर्थात जेनरिक शुल्क या परियोजना विशिष्ट शुल्क, के अवधारण हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त है। यदि कोई उत्पादक विनियमों के अनुसार तय की गई अपनी लागत वसूल करने में असमर्थ रहता है तो उसे सर्वप्रथम प्रचालक और वित्तीय कार्य कुशलता की ओर ध्यान देना चाहिये तथा तत्पश्चात् इनके सुधार की ओर ध्यान देना चाहिये।

विनियमों में मानकीय पूंजी लागत वर्तमान मानकीय लागत, प्रचलित बाजार परिस्थितियों इत्यादि पर उचित विचार करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट की गई है। आयोग ऐसे कोई नये विनियम संरचित नहीं कर रहा है जिनके प्रचालनों के मानकों को दुबारा तय किया गया हो। आयोग ने प्रारूप संशोधन विनियमों के साथ संलग्न एसओआर में पहले ही यह विस्तारपूर्वक बता दिया है कि इसका उपबंध क्यों नहीं किया जा रहा है, अतः स्टेकहोल्डर के इस सुझाव में कोई तर्क शीलता नहीं है।

आयोग ने UERC (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (प्रथम संशोधन) (2) में पहले ही निम्नलिखित अनुसार इस पर चर्चा की है:–

" (2) आयोग ने एक समय पर 20 मिनट की समय सीमा तथा आउटेज/व्यवधानों के लिये 40 घंटे 1 माह मानित उत्पादन को छोड़ने हेतु अनुमोदक ने मुद्दे पर UPCL के साथ बैठक में चर्चा की। UPCL का कहना था कि 20 मिनट की छूट अपर्याप्त होगी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में यदि ब्रेक–डाउन होता है तो इसे पुनः स्थापित करने में 12 घंटे लगेंगे। अतः यदि UPCL ने आयोग से 40 घंटे माह की सीमा को 48 घंटे/माह बढ़ाने का आग्रह किया ताकि एक माह में कम से कम चार ब्रेक डाउन के परिणाम को कवर किया जा सके। उत्पादकों के अनुरोध पर तथा इस मामले में UPCL का दृष्टिकोण प्राप्त कर, आयोग ने आउटेजेज/व्यवधानों के लिए एक समय पर 20 मिनट की समय सीमा को त्यागने का निर्णय लिया है। आयोग ने UPCL के अनुरोध पर व्यवधानों/आउटेजेज की कुल अवधि भी बढ़ाकर 48 घंटे/माह कर दी है। "

अतः इस अवस्था में उसी मुद्दे पर दुबारा चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इसलिए ऐसे किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

पूंजीगत सहायिकी के मुद्दे पर आयोग प्रारूप अधिसूचना में पहले ही राय व्यक्त कर चुका है कि पूंजीगत सहायिकी RE आधारित ऊर्जा उत्पादन की बढ़ावा देने और परियोजना विकासकर्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने तथा उनके शुल्क आकर्षक बनाने के लिए दी जाती है। यदि पूंजीगत सहायिकी का समायोजन इसकी प्राप्ति के पश्चात् ही अनुमन्य किया जायेगा, जैसा कि उत्पादकों द्वारा निवेदन किया गया है तो सभी परियोजना विकासकर्ता उच्चतर शुल्क प्राप्त कर रहे होगें तथा वे पूंजीगत सहायिकी प्राप्त करने के प्रयास बंद कर देंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य विनियम, MNRE द्वारा कम की गई सहायिकी के मामले में सुधार तंत्र विनिर्दिष्ट करते हैं बशर्ते की सहायिकी राशि में यह कमी उत्पादक की कार्य अकुशलता के कारण न हो। अतः ऐसे किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

6. यूपीसीएल की अतिरिक्त प्रस्तुतियां

इस मामले में 15.05.2014 को हुई सुनवाई के दौरान अनुज्ञापी ने कहा कि विनियमों में संशोधन से उस पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, अतः उसने विकासकर्ताओं द्वारा प्राप्त घटी हुई CUF हेतु कारणों के विश्लेषण के लिए अध्ययन हेतु दो माह के अतिरिक्त समय की मांग की। सुनवाई के दौरान आयोग ने इसे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का समय दिया। UPCL के निवेदन पर विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों की प्रतियां भी उसे उपलब्ध कराई गई।

UPCL ने अपने पत्र दिनांक 22.05.2014 में कहा कि इस विषय पर तथा उत्पादकों की प्रस्तुतियों पर उचित रूप से उत्तर देने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। उसने आगे यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान किसी भी विकासकर्ता ने जल की उपलब्धता में कमी या उनके द्वारा डिजाईन ऊर्जा के गलत आंकलन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया। तथापि विकासकर्ताओं द्वारा मौखिक रूप से किये गये निवेदन से यह प्रतीत होता है कि SHPs द्वारा निम्न CUF प्राप्त करने का कारण निष्क्रमण प्रणाली की स्थिति/उपलब्धता हो सकती है। UPCL ने यह भी कहा है कि आयोग इस मामले में एक विशेषज्ञ एजेन्सी गठित या नियुक्त करे तथा इसकी रिपोर्ट उपलब्ध होने तक प्रारूप विनियम को अन्तिम रूप देने का काम स्थगित रखा जाये। UPCL ने यह भी उल्लेख किया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में डिजाईन ऊर्जा के गलत आंकलन के सम्बन्ध में किसी उत्पादक ने कुछ नहीं कहा, यहां तक कि जब UPCL के अधिकारियों ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय सरकारी एजेन्सी द्वारा संकलित किये गये डाटा की सत्यता को अधिक्षेपित करने के लिए कोई डाटा या सदस्य उपलब्ध नहीं है, तब भी इससे केवल यही प्रदर्शित होता है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय परिगणित डिजाईन ऊर्जा के आंकलन को विकासकर्ता चुनौती नहीं दे रहे थे अतः वह उद्देश्य और कारण जिस पर प्रारूप विनियम प्रस्तावित किये गये थे, शेष नहीं रहता। UPCL ने आयोग से यह भी निवेदन किया कि वह हाइड्रोलॉजिकल डाटा संकलित करने और विभिन्न SHPs की DPR तैयार करने

के लिए जिम्मेदार सरकार के संबधित विभाग/एजेंसियों से टिप्पणिंया व रिकार्ड्स मंगवाये तथा वर्तमान प्रारूप विनियम और उत्तराखण्ड राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के हित पर इसके प्रभाव का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ता हित का उचित और प्रभावी प्रतिनिधित्व हो सके। UPCL ने आयोग से निम्न CUF का वास्तविक कारण जानने के लिए आवश्यक डाटा संकलित करने के लिये 2 माह का समय प्रदान करने का पुनः निवेदन किया।

विश्लेषण और निर्णय

विनियम के प्रारूप संशोधन अधिसूचना दिनांक 18.04.2014 द्वारा जारी किये गये। इनका नोटिस सभी स्टेकहोल्डर्स की जानकारी के लिये राज्य के व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया। सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिये ये संशोधन विनियम SOR के साथ आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in पर उपलब्ध करवाये गये। टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिये अंतिम तिथि 12.05.2014 रखी गयी थी। इसके पश्चात् इस मामले में 15.05.2014 को सुनवाई भी की गयी, स्टेकहोल्डर्स द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय प्रदान किया गया । विकासकर्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर उत्तर देने के लिये UPCL द्वारा 15 दिन के अतिरिक्त समय का निवेदन आधारहीन है क्योंकि अनुज्ञापी को विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मुद्दों की पहले से ही जानकारी थी और ये प्रारूप विनियमों के साथ संलग्न SOR में उपबंधित थे।

आयोग ने अपने आदेश दिनांक 19.03.2014 में कहा है कि विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानक प्राप्त करने में विकासकर्ताओं के सम्मुख आने वाली कठिनाईयों पर विचार करते हुए आयोग ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत CUF के द्वारा विकासकत्तओं द्वारा उठाये गये अन्य मुद्दे, यदि कोई हों की जांच करें तथा यदि आवश्यक हो तो सभी स्टेकहोल्डर्स से टिप्पणियां आमंत्रित करने लिये RE विनियम, 2010 व 2013 का एक उपयुक्त प्रारूप संशोधन तैयार करें।

इस सुनवाई से यह स्पष्ट है कि आयोग ने मानकीय CUF प्राप्त करने में राज्य में विकासकर्ताओं के समक्ष आ रही कठिनाईयों का संज्ञान लिया और तदनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणों का विश्लेषण करने का निर्देश दिया, यह मुद्दा स्वयं नहीं उठा तथा विनियमों का संशोधन अचानक नहीं किया जा रहा है। UPCL को एक उत्तरवादी होने के कारण इन मुद्दों की जानकारी थी। इसके अतिरिक्त एक अनुज्ञापी होने के कारण सभी उत्पादन डाटा और राज्य में SHPs सहित सभी परियोजनाओं के सुसंगत विवरण उसके पास उपलब्ध हैं। मानकीय CUF प्राप्त करने में विकासकर्ताओं को पिछले 4 वर्ष से कठिनाई हो रही है, इस तथ्य का विश्लेषण UPCL को पूर्व में कराना चाहिये था क्योंकि SHPs से प्राप्त ऊर्जा का यह एक मात्र लाभार्थी था तथा इन SHPs से घटे हुए उत्पादन की प्राप्ति इसके लिये चिंता का विषय होना चाहिये था। इसके अलावा आयोग द्वारा निकाला गया CUF का डाटा UPCL से प्राप्त डाटा पर ही आधारित था।

जैसा कि इस के पहले उल्लेख किया गया है, मानकीय CUF में समीक्षा/संशोधन की आवश्यकता इस लिए हुई क्योंकि यह देखा गया कि अधिकांश विकासकर्ता अपनी AFC को वसूल नहीं कर पा रहे है और यह कि उधार में व्यतिक्रम के संभाव्य खतरे का सामना कर रहे है क्योंकि प्रारम्भिक वर्ष में राजस्व का मुख्य भाग ऋण सेवाओं अर्थात ब्याज और वापसी में उपयोग होता है। UPCL द्वारा सुझाया गया अध्ययन, जांच किये जाने वाले मुद्दे से सुसंगत नहीं है तथा देरी करने का एक बहाना प्रतीत होता है।

अतः आयोग ने संशोधन विनियम जारी करने का निर्णय किया है।

संलग्नक–I

उन स्टेक होल्डर्स की सूची जिन्होंने प्रारूप संशोधन विनियम पर अपनी लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की,

कम सं0	स्टेक होल्डर्स का नाम
1.	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 (UPCL)
2.	मै0 ऋषि गंगा पावर कारपोरेशन लि0
3.	मै0 बिरही गंगा हाइड्रो पावर लि0
4.	मै0 हिमालय हाइड्रो पावर लि0
5.	मै0 हिम ऊर्जा प्रा0 लि0

संलग्नक–II

प्रारूप संशोधन विनियमों पर 15.05.2014 को हुई सुनवाई में भाग लेने वालों की सूची

क्रम सं0	नाम	संस्था
1.	श्री एस. के. टम्टा, श्री अनुराग शर्मा	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 (UPCL)
2.	श्री रूपक अग्रवाल	मै0 ऋषि गंगा पावर कारपोरेशन लि0
3.	श्री आलोक डंगवाल	मै0 बिरही गंगा हाइड्रो पावर लि0
4.	श्री विक्रम रेड्डी	मै0 हिमालय हाइड्रो पावर लि0
5.	श्री अरूण गुप्ता	मै0 हिम ऊर्जा प्रा0 लि0
6.	श्री वाई.एस रवीन्द्रनाथ रेड्डी श्री सुमेर सिंह	मै0 स्वास्ति पावर लि0
7.	श्री बी.एस. रेड्डी	मै0 चमोली हाइड्रो पावर प्रा0लि0

अधिसूचना

20 जून, 2014

सं0 एफ–9(21) RG/UERC/2013/558– उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h) के साथ पठित धारा 181 (2) (zc) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तिओं का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद् द्वारा उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एंव अन्य निबंधन) विनियम, 2013 (मुख्य विनियम) तथा उसमें इसके पश्चात किये गये संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एंव अन्य निबंधन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 होगा।

(2) ये विनियम 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होगें।

2. मुख्य विनियमों के विनियम 14 (7) में संशोधनः–

मुख्य विनियमों के विनियम 14 (7) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगाः–

" परन्तु पूंजीगत कोई भी अतिरिक्त व्यय जो प्राकृतिक आपदा (किन्तु उत्पादक कम्पनी की लापरवाही के फलस्वरूप पावर हाउस में पानी भर जाने के कारण नहीं) द्वारा क्षतिग्रस्त होने के कारण आवश्यक हो जाये आयोग द्वारा कुशल जांच के पश्चात् इन विनियमों के अधीन आये सभी उत्पादक स्टेशनों के लिए किसी बीमा योजना से प्राप्त राशि के समायोजन के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमन्य होगा उपरोक्त रूप से स्वीकार्य अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिये शुल्क में उपयुक्त समायोजन, विनियमों के अध्याय 4 व 5 में दिये गये मानकों के आधार पर उस परियोजना के शेष जीवनकाल हेतु अनुमन्य होगा।

परन्तु इस प्रकार से अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति उसी दशा में होगी यदि उपर प्रथम परन्तुक में उल्लिखित प्राकृतिक आपदा को घटित होने के समय पर उत्पादक स्टेशन हेतु उपयुक्त और पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था।"

3. मुख्य विनियमों के विनियम 26 में संशोधन

मुख्य विनियमों के विनियम 26 को हटा दिया गया है तथा इसके स्थान पर निम्नलिखित को स्थापित किया जाएगा:

" 26 शुल्क की अनुप्रयोज्यता

शुल्क की वसूली निम्नलिखित तरीके से अनुमन्य होगी:

(1) जेनरिक शुल्क का विकल्प चुनने वाले उत्पादकों के लिये:

i. जब तक वास्तविक CUF 40% वार्षिक CUF से कम या उसके बराबर है, शुल्क 40% के मानकीय CUF के आधार पर ज्ञात इन संशोधित विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत जेनरिक दरों पर देय होंगे।

ii. 40% के वार्षिक CUF से अधिक उत्पादन हेतु निम्नलिखित लागू होगा:

(a) 40% के वार्षिक CUF से अधिक किन्तु 45% के वार्षिक CUF तक शुल्क रू0 1.50/kWh होगा।

(b) 45% के वार्षिक CUF अधिक उत्पादन पर प्रोत्साहन रू0 0.75 प्रति kWh घटा कर 45% के CUF पर मुख्य विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत जेनरिक दरों के बराबर होगा। यह रू0 0.75/kWh की घटौती वास्तविक वार्षिक CUF के 55% पहुंच जाने तक केवल पश्चात्वर्ती मासिक बिलों से की जायेगी ।

(c) परन्तु आगे यह कि 55% के वार्षिक CUF से आगे उत्पादन हेतु प्रोत्साहन 45% के CUF पर मुख्य विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत दरों के बराबर होगा।

(2) परियोजना विशिष्ट शुल्कों हेतु विकल्प चुनने वालों के लिये सम्पूर्ण लागत तय हो जाने पर, लागू CUF (अर्थात अनुमोदित डीपीआर में परिकल्पित या अध्याय–5 के अधीन सुसंगत प्रौद्याोगिकी हेतु विनिर्दिष्ट मानकीय CUF, दोनो में जो उच्चतर हो) से अधिक उत्पादन के लिये शुल्क, मुख्य विनियमों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट जेनरिक शुल्क से वसूल करने की अनुमति दी जाएगी ।

(3) वार्षिक CUF, मुख्य विनियमों के विनियम 3(7)(एफ) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार प्रमाणित किया जायेगा "

4. मुख्य विनियमों के विनियम 28 में संशोधन :

मुख्य विनियमों का विनियम 28 इस तरह पढ़ा जायेगा :

"लघु जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिये जेनरिक शुल्कों के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित रूप में होगें :

01.04.2013 को या उसके पश्चात् कमीशन्ड परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	कमीशिनंग के वर्ष हेतु O&M व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक	अनुशंगी खपत
	(रू0 लाख / MW)	(रू0 लाख / MW)	%	%
5MW तक	785	26.43	40%	1%
5MW और 15MW तक	750	22.73		
15MW और 25MW तक	715	19.03		

नोट : इस विनियम के प्रयोजन से, मानकीय CUF अन्तः संयोजन बिन्दु से प्रेषित विद्युत पर आधारित है और शुल्क के प्रयोजनों से, विकासकर्ता द्वारा अभिबन्ध गृह राज्य की निशुल्क ऊर्जा, यदि कोई है,का ऊर्जा शुल्क लिया जायेगा। जनेरिक शुल्क अवधारण हेतु गृह राज्य अ''। 16 वें वर्ष से आगे 18% लिया गया है।

1. *01.04.2013 को या उसके पश्चात् कमीशन्ड SHPs (25 MWतक) के लिये स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (RFC) रू0/kWh में*

विवरण	5MW तक	5से ऊपर और 15MW तक	15से ऊपर और 25MW तक
सकल शुल्क	4.75	4.52	4.21
घटा करः त्वरित मूल्य ह्रास	0.35	0.35	0.35
शुद्ध शुल्क	4.40	4.17	3.86

अधिसूचना

20 जून, 2014

सं0 एफ–9(21) RG/UERC/2010/559– उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h) के साथ पठित धारा 181(2)(zc) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तिओं का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद् द्वारा UERC (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एंव अन्य निबंधन) विनियम 2010 (मुख्य विनियम) तथा उसमें इसके पश्चात किये गये संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम UERC (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एंव अन्य निबंधन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 होगा।

(2) ये विनियम 01 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियमों के विनियम 12 में संशोधनः–

उप–विनियम (1) के प्रथम पंक्ति में आये '31.03.2013' के स्थान पर '31.03.2018' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. मुख्य विनियमों के विनियम 15 (9) में संशोधन :

मुख्य विनियमों के विनियम 15 (9) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :

"परन्तु पूंजीगत कोई भी अतिरिक्त व्यय जो प्राकृतिक आपदा (किन्तु उत्पादक कम्पनी की लापरवाही के फलस्वरूप पावर हाउस पानी भर जाने के कारण नहीं) द्वारा क्षतिग्रस्त होने के कारण आवश्यक हो जाये आयोग द्वारा कुशल जांच के पश्चात् इन विनियमों अधीन आये सभी उत्पादक स्टेशनों के लिए किसी बीमा योजना से प्राप्त राशि के समायोजन के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमन्य होगा उपरोक्त रूप से स्वीकार्य अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिये शुल्क में उपयुक्त समायोजन, विनियमों के अध्याय 4 व 5 में दिये गये मानकों के आधार पर उस परियोजना के शेष जीवनकाल हेतु अनुमन्य होगा।

परन्तु इस प्रकार से अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति उसी दशा में होगी यदि ऊपर प्रथम परन्तुक में उल्लिखित प्राकृतिक आपदा को घटित होने के समय पर उत्पादक स्टेशन हेतु उपयुक्त और पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था।"

4. मुख्य विनियमों के विनियम 27 में संशोधन

मुख्य विनियमों के विनियम 27 में संशोधन हटा दिया गया है तथा इसके स्थान पर निम्नलिखित को स्थापित किया जाएगा:

" 27 शुल्क की अनुप्रयोज्यता

शुल्क की वसूली निम्नलिखित तरीके से अनुमन्य होगी:

i. जब तक वास्तविक CUF 40% वार्षिक CUF से कम या उसके बराबर है, शुल्क 40% के मानकीय CUF के आधार पर ज्ञात इन संशोधित विनियमों के विनिर्दिष्ट स्तरीकृत जेनरिक दरों पर देय होगें।

ii. 40% के वार्षिक CUF से अधिक उत्पादन हेतु निम्नलिखित लागू होगा:

(a) 40% के वार्षिक CUF से अधिक किन्तु 45% के वार्षिक CUF तक शुल्क रू0 1.50/kWh होगा।

(b) 45% के वार्षिक CUF अधिक उत्पादन पर प्रोत्साहन रू0 0.75 प्रति kWh घटा कर 45% के CUF पर मुख्य विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत जेनरिक दरों के बराबर होगा। यह रू0 0.75/ kWh की घटौती वास्तविक वार्षिक CUF के 55% पहुंच जाने तक केवल पश्चात्वर्ती मासिक बिलों से की जायेगी।

(c) परन्तु आगे यह 55% के वार्षिक CUF से आगे उत्पादन हेतु प्रोत्साहन 45% के CUF पर मुख्य विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत दरों के बराबर होगा।

(d) वार्षिक CUF का प्रगणन मुख्य विनियमों के विनियम 3(1) (ई) में विनिर्दिष्ट सिद्वान्तों के अनुसार किया जायेगा"

5. मुख्य विनियमों के विनियम 29 में संशोधन :

मुख्य विनियमों का विनियम 29 इस तरह पढ़ा जायेगा :

" 29 लघु जल विद्युत उत्पादक संयंत्र

लघु जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिये जेनरिक शुल्कों के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित रूप में होंगे :

01.01.2002 के पश्चात् और 31.03.2007 तक कमीशन्ड परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग वर्ष हेतु O&M व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक	अनुशंगी खपत
	(रू0 लाख/MW)	(रू0 लाख/MW)	%	%
5MW तक	550	15.90	40%	1%
5MW से तक 10MW	550	14.77		
10MW से तक 15MW		13.63		
15MW से तक 20MW		12.49		
20MW से तक 25MW		11.36		

वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2008–09 की अवधि में कमीशन्ड परियोजनाएं :

परियोजना आकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु O&M व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक	अनुशंगी खपत
	(रू0 लाख/MW)	(रू0 लाख/MW)	%	%
5MW तक	600	18.79	40%	1%
5MW से तक 10MW	600	17.45		
10MW से तक 15MW		16.10		
15MW से तक 20MW		14.76		
20MW से तक 25MW		13.42		

01.04.2009 को या उसके पश्चात् कमीशन्ड परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु O&M व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक	अनुशंगी खपत
	(रू0 लाख/MW)	(रू0 लाख/MW)	%	%
5MW तक	700	21	40%	1%
5 MW से 10MW तक	685	20		
10 MW से 15MW तक	670	18		
15 MW से 20MW तक	650	17		
20 MW से 25MW तक	630	15		

01.04.2014 से 40% के के वार्षिक CUF तक लागू SHPs हेतु स्तरीकृत दर के स्थिर प्रभार (RFC) रू0/ kWh में)

(*a*) 01.01.2002 के पश्चात् और 31.03.2007 तक *कमीशन्ड* SHPs

विवरण		5 MW तक			5 से 10MW तक			10 से 15MW तक			15 से 20MW तक			20 से 25MW तक		
		सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	शुद्ध शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	शुद्ध शुल्क	सकलशुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	शुद्ध शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	शुद्ध शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर:त्वरित मूल्य ह्रास	शुद्ध शुल्क
1. स्तरीकृत (संपूर्ण जीवन)		3.20	0.25	2.95	3.20	0.25	2.95	3.15	0.25	2.90	3.10	0.25	2.85	3.05	0.25	2.80
2. स्तरीकृत	1से10 वर्ष	3.35	0.30	3.05	3.35	0.30	3.05	3.35	0.30	3.05	3.30	0.30	3.00	3.25	0.30	2.95
	शेष जीवन	2.80	-	2.80	2.70	-	2.70	2.60	-	2.60	2.50	-	2.50	2.40	-	2.40
3 वार्षिक शुल्क	Year															
	1	3.75	1.05	2.70	3.75	1.05	2.70	3.75	1.05	2.70	3.75	1.05	2.70	3.70	1.05	2.65
	2	3.60	1.15	2.45	3.65	1.15	2.50	3.65	1.15	2.50	3.60	1.15	2.45	3.55	1.15	2.40
	3	3.50	0.05	3.45	3.50	0.05	3.45	3.50	0.05	3.45	3.45	0.05	3.40	3.45	0.05	3.40
	4	3.40	-0.10	3.50	3.40	-0.10	3.50	3.40	-0.10	3.50	3.35	-0.10	3.45	3.30	-0.10	3.40
	5	3.25	-0.15	3.40	3.30	-0.15	3.45	3.25	-0.15	3.40	3.20	-0.15	3.35	3.20	-0.15	3.35
	6	3.15	-0.10	3.25	3.15	-0.10	3.25	3.15	-0.10	3.25	3.10	-0.10	3.20	3.05	-0.10	3.15
	7	3.05	-0.10	3.15	3.05	-0.10	3.15	3.00	-0.10	3.10	3.00	-0.10	3.10	2.95	-0.10	3.05
	8	2.95	-0.10	3.05	2.95	-0.10	3.05	2.90	-0.10	3.00	2.85	-0.10	2.95	2.80	-0.10	2.90
	9	2.85	-0.10	2.95	2.80	-0.10	2.90	2.80	-0.10	2.90	2.75	-0.10	2.85	2.70	-0.10	2.80
	10	2.85	-0.05	2.90	2.80	-0.05	2.85	2.75	-0.05	2.80	2.70	-0.05	2.75	2.65	-0.05	2.70
	11	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10	2.00	0.00	2.00	1.95	0.00	1.95	1.90	0.00	1.90
	12	2.20	0.00	2.20	2.10	0.00	2.10	2.05	0.00	2.05	2.00	0.00	2.00	1.95	0.00	1.95
	13	2.25	0.00	2.25	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10	2.05	0.00	2.05	1.95	0.00	1.95
	14	2.30	0.00	2.30	2.20	0.00	2.20	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10	2.00	0.00	2.00
	15	2.35	0.00	2.35	2.25	0.00	2.25	2.20	0.00	2.20	2.10	0.00	2.10	2.05	0.00	2.05
	16	2.95	0.00	2.95	2.85	0.00	2.85	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65	2.55	0.00	2.55
	17	3.00	0.00	3.00	2.90	0.00	2.90	2.80	0.00	2.80	2.70	0.00	2.70	2.60	0.00	2.60
	18	3.10	0.00	3.10	3.00	0.00	3.00	2.90	0.00	2.90	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65
	19	3.20	0.00	3.20	3.05	0.00	3.05	2.95	0.00	2.95	2.85	0.00	2.85	2.70	0.00	2.70
	20	3.25	0.00	3.25	3.15	0.00	3.15	3.05	0.00	3.05	2.90	0.00	2.90	2.80	0.00	2.80
	21	3.35	0.00	3.35	3.25	0.00	3.25	3.10	0.00	3.10	3.00	0.00	3.00	2.85	0.00	2.85
	22	3.45	0.00	3.45	3.35	0.00	3.35	3.20	0.00	3.20	3.05	0.00	3.05	2.95	0.00	2.95
	23	3.60	0.00	3.60	3.45	0.00	3.45	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15	3.00	0.00	3.00
	24	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25	3.10	0.00	3.10
	25	3.80	0.00	3.80	3.65	0.00	3.65	3.50	0.00	3.50	3.35	0.00	3.35	3.20	0.00	3.20
	26	3.95	0.00	3.95	3.75	0.00	3.75	3.60	0.00	3.60	3.45	0.00	3.45	3.25	0.00	3.25
	27	4.10	0.00	4.10	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.35	0.00	3.35
	28	4.20	0.00	4.20	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.65	0.00	3.65	3.45	0.00	3.45
	29	4.35	0.00	4.35	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95	3.75	0.00	3.75	3.55	0.00	3.55
	30	4.55	0.00	4.55	4.30	0.00	4.30	4.10	0.00	4.10	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70
	31	4.70	0.00	4.70	4.50	0.00	4.50	4.25	0.00	4.25	4.05	0.00	4.05	3.80	0.00	3.80
	32	4.90	0.00	4.90	4.65	0.00	4.65	4.40	0.00	4.40	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95
	33	5.05	0.00	5.05	4.80	0.00	4.80	4.55	0.00	4.55	4.30	0.00	4.30	4.05	0.00	4.05
	34	5.25	0.00	5.25	5.00	0.00	5.00	4.75	0.00	4.75	4.50	0.00	4.50	4.20	0.00	4.20
	35	5.50	0.00	5.50	5.20	0.00	5.20	4.90	0.00	4.90	4.65	0.00	4.65	4.35	0.00	4.35

वर्ष 1 जेनरिक शुल्को के लिए कमीश्निंग का वर्ष होगा।

वित्त वर्ष 2007–08से 2008–09 की अवधि में *कमीशन्ड* SHPs

विवरण		5 MW तक			5 से 10MW तक			10 से 15MW तक			15 से 20MW तक			20 से 25MW तक		
		सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	शुद्ध शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	सकल शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	शुद्ध शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	सकल शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	शुद्ध शुल्क
1. स्तरीकृत (संपूर्ण जीवन)		3.60	0.25	3.35	3.55	0.25	3.30	3.50	0.25	3.25	3.45	0.25	3.20	3.40	0.25	3.15
2. स्तरीकृत	1से10 वर्ष	3.75	0.35	3.40	3.75	0.35	3.40	3.70	0.35	3.35	3.65	0.35	3.30	3.60	0.35	3.25
	शेष जीवन	3.20	-	3.20	3.05	-	3.05	2.95	-	2.95	2.85	-	2.85	2.70	-	2.70
3 वार्षिक शुल्क	Year															
	1	4.15	1.15	3.00	4.15	1.15	3.00	4.15	1.15	3.00	4.10	1.15	2.95	4.10	1.15	2.95
	2	4.00	1.25	2.75	4.05	1.25	2.80	4.00	1.25	2.75	3.95	1.25	2.70	3.95	1.25	2.70
	3	3.90	0.05	3.85	3.90	0.05	3.85	3.85	0.05	3.80	3.85	0.05	3.80	3.80	0.05	3.75
	4	3.75	-0.10	3.85	3.75	-0.10	3.85	3.75	-0.10	3.85	3.70	-0.10	3.80	3.65	-0.10	3.75
	5	3.65	-0.15	3.80	3.65	-0.15	3.80	3.60	-0.15	3.75	3.55	-0.15	3.70	3.50	-0.15	3.65
	6	3.50	-0.15	3.65	3.50	-0.15	3.65	3.50	-0.15	3.65	3.45	-0.15	3.60	3.40	-0.15	3.55
	7	3.40	-0.10	3.50	3.40	-0.10	3.50	3.35	-0.10	3.45	3.30	-0.10	3.40	3.25	-0.10	3.35
	8	3.30	-0.10	3.40	3.25	-0.10	3.35	3.25	-0.10	3.35	3.20	-0.10	3.30	3.10	-0.10	3.20
	9	3.20	-0.10	3.30	3.15	-0.10	3.25	3.10	-0.10	3.20	3.05	-0.10	3.15	3.00	-0.10	3.10
	10	3.20	-0.05	3.25	3.10	-0.05	3.15	3.05	-0.05	3.10	3.00	-0.05	3.05	2.95	-0.05	3.00
	11	2.40	0.00	2.40	2.35	0.00	2.35	2.25	0.00	2.25	2.20	0.00	2.20	2.10	0.00	2.10
	12	2.45	0.00	2.45	2.40	0.00	2.40	2.30	0.00	2.30	2.25	0.00	2.25	2.15	0.00	2.15
	13	2.50	0.00	2.50	2.45	0.00	2.45	2.35	0.00	2.35	2.30	0.00	2.30	2.20	0.00	2.20
	14	2.60	0.00	2.60	2.50	0.00	2.50	2.40	0.00	2.40	2.35	0.00	2.35	2.25	0.00	2.25
	15	2.65	0.00	2.65	2.55	0.00	2.55	2.50	0.00	2.50	2.40	0.00	2.40	2.30	0.00	2.30
	16	3.30	0.00	3.30	3.20	0.00	3.20	3.10	0.00	3.10	3.00	0.00	3.00	2.85	0.00	2.85
	17	3.40	0.00	3.40	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15	3.05	0.00	3.05	2.95	0.00	2.95
	18	3.50	0.00	3.50	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25	3.15	0.00	3.15	3.00	0.00	3.00
	19	3.60	0.00	3.60	3.50	0.00	3.50	3.35	0.00	3.35	3.20	0.00	3.20	3.10	0.00	3.10
	20	3.70	0.00	3.70	3.60	0.00	3.60	3.45	0.00	3.45	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15
	21	3.85	0.00	3.85	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25
	22	3.95	0.00	3.95	3.80	0.00	3.80	3.65	0.00	3.65	3.50	0.00	3.50	3.30	0.00	3.30
	23	4.10	0.00	4.10	3.90	0.00	3.90	3.75	0.00	3.75	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40
	24	4.20	0.00	4.20	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.70	0.00	3.70	3.50	0.00	3.50
	25	4.35	0.00	4.35	4.20	0.00	4.20	4.00	0.00	4.00	3.80	0.00	3.80	3.60	0.00	3.60
	26	4.50	0.00	4.50	4.30	0.00	4.30	4.10	0.00	4.10	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70
	27	4.70	0.00	4.70	4.45	0.00	4.45	4.25	0.00	4.25	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85
	28	4.85	0.00	4.85	4.60	0.00	4.60	4.40	0.00	4.40	4.20	0.00	4.20	3.95	0.00	3.95
	29	5.00	0.00	5.00	4.80	0.00	4.80	4.55	0.00	4.55	4.30	0.00	4.30	4.10	0.00	4.10
	30	5.20	0.00	5.20	4.95	0.00	4.95	4.70	0.00	4.70	4.45	0.00	4.45	4.20	0.00	4.20
	31	5.40	0.00	5.40	5.15	0.00	5.15	4.90	0.00	4.90	4.60	0.00	4.60	4.35	0.00	4.35
	32	5.60	0.00	5.60	5.35	0.00	5.35	5.05	0.00	5.05	4.80	0.00	4.80	4.50	0.00	4.50
	33	5.85	0.00	5.85	5.55	0.00	5.55	5.25	0.00	5.25	4.95	0.00	4.95	4.65	0.00	4.65
	34	6.10	0.00	6.10	5.75	0.00	5.75	5.45	0.00	5.45	5.15	0.00	5.15	4.85	0.00	4.85
	35	6.35	0.00	6.35	6.00	0.00	6.00	5.65	0.00	5.65	5.35	0.00	5.35	5.00	0.00	5.00

वर्ष 1 जेनरिक शुल्कों के लिए कमीशनिंग का वर्ष होगा।

(b) सी. 01.04.2009 को या उसके पश्चात् कमीशन्ड SHPs

विवरण		5 MW तक			5 से 10MW तक			10 से 15MW तक			15 से 20MW तक			20 से 25MW तक		
		सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	कुल शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	कुल शुल्क	सकलशुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	कुल शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	कुल शुल्क	कुल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य ह्रास	कुल शुल्क
1. स्तरीकृत (संपूर्ण जीवन)		4.20	0.30	3.90	4.10	0.30	3.80	3.95	0.30	3.65	3.80	0.25	3.55	3.65	0.25	3.40
2. स्तरीकृत	1से10 वर्ष	4.40	0.40	4.00	4.30	0.40	3.90	4.15	0.35	3.80	4.00	0.35	3.65	3.85	0.35	3.50
	शेष जीवन	3.65	-	3.65	3.45	-	3.45	3.30	-	3.30	3.10	-	3.10	2.95	-	2.95
3 वार्षिक शुल्क	Year															
	1	4.90	1.35	3.55	4.80	1.35	3.45	4.65	1.30	3.35	4.50	1.25	3.25	4.35	1.20	3.15
	2	4.75	1.50	3.25	4.65	1.45	3.20	4.50	1.40	3.10	4.35	1.40	2.95	4.20	1.35	2.85
	3	4.60	0.10	4.50	4.50	0.10	4.40	4.35	0.10	4.25	4.20	0.10	4.10	4.05	0.05	4.00
	4	4.45	-0.15	4.60	4.35	-0.15	4.50	4.20	-0.15	4.35	4.05	-0.15	4.20	3.90	-0.15	4.05
	5	4.30	-0.15	4.45	4.20	-0.15	4.35	4.05	-0.15	4.20	3.90	-0.15	4.05	3.75	-0.15	3.90
	6	4.15	-0.15	4.30	4.05	-0.15	4.20	3.95	-0.15	4.10	3.80	-0.15	3.95	3.60	-0.15	3.75
	7	4.00	-0.15	4.15	3.90	-0.15	4.05	3.80	-0.10	3.90	3.65	-0.10	3.75	3.50	-0.10	3.60
	8	3.85	-0.10	3.95	3.75	-0.10	3.85	3.65	-0.10	3.75	3.50	-0.10	3.60	3.35	-0.10	3.45
	9	3.70	-0.10	3.80	3.65	-0.10	3.75	3.50	-0.10	3.60	3.35	-0.10	3.45	3.20	-0.10	3.30
	10	3.65	-0.10	3.75	3.55	-0.10	3.65	3.45	-0.10	3.55	3.30	-0.10	3.40	3.15	-0.10	3.25
	11	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65	2.55	0.00	2.55	2.40	0.00	2.40	2.30	0.00	2.30
	12	2.80	0.00	2.80	2.70	0.00	2.70	2.60	0.00	2.60	2.45	0.00	2.45	2.30	0.00	2.30
	13	2.90	0.00	2.90	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65	2.50	0.00	2.50	2.35	0.00	2.35
	14	2.95	0.00	2.95	2.85	0.00	2.85	2.70	0.00	2.70	2.55	0.00	2.55	2.40	0.00	2.40
	15	3.05	0.00	3.05	2.90	0.00	2.90	2.75	0.00	2.75	2.60	0.00	2.60	2.50	0.00	2.50
	16	3.80	0.00	3.80	3.65	0.00	3.65	3.45	0.00	3.45	3.25	0.00	3.25	3.10	0.00	3.10
	17	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.35	0.00	3.35	3.15	0.00	3.15
	18	4.00	0.00	4.00	3.85	0.00	3.85	3.65	0.00	3.65	3.45	0.00	3.45	3.25	0.00	3.25
	19	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95	3.75	0.00	3.75	3.55	0.00	3.55	3.30	0.00	3.30
	20	4.25	0.00	4.25	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40
	21	4.35	0.00	4.35	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95	3.70	0.00	3.70	3.50	0.00	3.50
	22	4.50	0.00	4.50	4.30	0.00	4.30	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.60	0.00	3.60
	23	4.65	0.00	4.65	4.40	0.00	4.40	4.20	0.00	4.20	3.95	0.00	3.95	3.70	0.00	3.70
	24	4.80	0.00	4.80	4.55	0.00	4.55	4.30	0.00	4.30	4.05	0.00	4.05	3.80	0.00	3.80
	25	4.95	0.00	4.95	4.70	0.00	4.70	4.45	0.00	4.45	4.20	0.00	4.20	3.90	0.00	3.90
	26	5.15	0.00	5.15	4.85	0.00	4.85	4.60	0.00	4.60	4.30	0.00	4.30	4.05	0.00	4.05
	27	5.30	0.00	5.30	5.05	0.00	5.05	4.75	0.00	4.75	4.45	0.00	4.45	4.15	0.00	4.15
	28	5.50	0.00	5.50	5.20	0.00	5.20	4.90	0.00	4.90	4.60	0.00	4.60	4.30	0.00	4.30
	29	5.70	0.00	5.70	5.40	0.00	5.40	5.10	0.00	5.10	4.75	0.00	4.75	4.45	0.00	4.45
	30	5.90	0.00	5.90	5.60	0.00	5.60	5.25	0.00	5.25	4.95	0.00	4.95	4.60	0.00	4.60
	31	6.15	0.00	6.15	5.80	0.00	5.80	5.45	0.00	5.45	5.10	0.00	5.10	4.75	0.00	4.75
	32	6.35	0.00	6.35	6.00	0.00	6.00	5.65	0.00	5.65	5.30	0.00	5.30	4.90	0.00	4.90
	33	6.60	0.00	6.60	6.25	0.00	6.25	5.85	0.00	5.85	5.50	0.00	5.50	5.10	0.00	5.10
	34	6.90	0.00	6.90	6.50	0.00	6.50	6.10	0.00	6.10	5.70	0.00	5.70	5.30	0.00	5.30
	35	7.15	0.00	7.15	6.75	0.00	6.75	6.35	0.00	6.35	5.90	0.00	5.90	5.50	0.00	5.50

वर्ष 1 जेनरिक शुल्को के लिए कमीशनिंग का वर्ष होगा।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,
सचिव।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत देहरादून

सूचना

22 अगस्त, 2014 ई0

संख्या 897/त्रि0पंचा0निर्वा0–2014/2014–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–1963/रा0नि0आ0–2/1775/2014 देहरादून दिनांक 21 अगस्त, 2014 द्वारा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243ट के अधीन उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1849/XII(1)-2014-84(08)/2014 दिनांक 20 अगस्त, 2014 के क्रम में ग्राम पंचायतों के उपप्रधान पद पर निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

अतः, मैं, चन्द्रेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देहरादून की 457 ग्राम पंचायतों के उप प्रधान पदों पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निम्न समय सारिणी के अनुसार निर्वाचन कराये जाने का आदेश देता हूँ:–

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
29–08–2014 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	29–08–2014 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	29–08–2014 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	29–08–2014 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	29–08–2014 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	29–08–2014 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उपप्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित समस्त कार्य ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा संशोधित एवं यथाप्रवृत) के नियम 117(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के निर्वाचन के लिये निर्वाचन अधिकारी दिनांक 29–08–2014 को अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की बैठक बुलायेंगे। उक्त बैठक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय भवन अथवा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर (धार्मिक स्थल को छोड़कर) ही आहूत की जायेगी, किसी व्यक्ति विशेष के निवास स्थान पर उक्त बैठक कदापि आहूत नहीं की जायेगी।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी उक्त निर्वाचन का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे और समस्त ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से इसकी जानकारी/सूचना देंगे।

स्थान – देहरादून
दिनांक – 22–08–2014

चन्द्रेश कुमार,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 हिन्दी गजट/547–भाग 1–क–2014 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।